"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2011—ज्येष्ठ 26, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-88/18/2005.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 25-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"3. **पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता**-नगर पालिक निगम के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :-

(क) महापौर - रुपये 11000.00 पारिश्रमिक तथा
रुपये 2500.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ख) अध्यक्ष (स्पीकर) - रुपये 9000.00 पारिश्रमिक तथा
रुपये 1400.00 सत्कार भत्ता प्रतिमाह

(ग) पार्षद - रुपये 6000.00 पारिश्रमिक प्रतिमाह

(घ) निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये महापौर द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 225.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 900.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2011

क्रमांक एफ 5-88/18/2005.— भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना एफ 5-88/18/2005 दिनांक 16-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 16th June 2011

NOTIFICATION

No. F 5-88/18/2005.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 25-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Remuneration and Allowances of Councillors) Rules, 1995, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted namely :-

"3. **Remuneration and daily allowance for meetings** - The remuneration and daily allowance for meetings shall be payable to Mayor, Speaker and Councillor of every Municipal Corporation shall be at the following Rates :-

(a) Mayor - Rs. 11000.00 remuneration and
Rs. 2500.00 entertainment Allowance, per month

(b) Speaker Rs. 9000.00 remuneration and
Rs. 1400.00 entertainment Allowance, per month

(c) Councillor - Rs. 6000.00 Remuneration per month

(d) For participating in the meetings of the Corporation and its Committees, the Mayor, Speaker, Councillors and the members nominated by Mayor in the Wards Committee for participating in the meetings of the concerned Wards Committee, a daily allowance at the rate of Rs. 225.00 per meeting not exceeding, Rs. 900.00 per month, shall be entitled to receive :

Provided that participating for more than on meeting in a day, he shall not be eligible to get more than one allowance."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.